बेहतर सिंचाई प्रबंध

563. **श्री राम जेठमलानी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जनवरी, 1997 के 'द पायनियर' में "मीट स्ट्रैसिज़ बैटर इरिगेशन मैनजमैंट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार क्षेत्र द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में यह मत व्यक्त किया गया था कि किसानों को जल प्रबंधन में शामिल किया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त मत को कार्यान्वित करने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस मामले में अब तक क्या निर्णय लिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) चूंकि जल राज्य का विषय है, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की भूमिका इसे सरल बनाने की है और भागीदारी सिंचाई प्रबंध का कार्यान्वयन राज्य सरकार को करना होता है। 1987 की राष्ट्रीय जल नीति में सिफारिश की गई थी कि सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में किसानों को क्रमिक रूप से शामिल किया जाए। केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भागीदारी राज्यों को आवश्यक मार्गनिर्देश दिए गए हैं कि जल प्रयोगकर्ता संगठनों का गठन करके इसमें छोटे (नहर) स्तर पर किसानों को शामिल किया जाए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन संगठनों को प्रबंध इमदाद दी जाती है। पदाधिकारियों एवं किसानों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्र, राज्य व परियोजना स्तरों पर भागीदारी सिंचाई प्रबंध पर बहुत से सम्मेलन आयोजित किये गये हैं। अधिकारियों एवं किसानों के लिए भागीदारी प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भागीदारी सिंचाई प्रबंध पर नीतिगत विषयों और मार्गदर्शी सिद्धांतों पर विचार करने के लिए राज्यों को उच्च स्तरीय कार्य दल के गठन की सलाह दी गई है। जल संसाधन मंत्रालय ने चार क्षेत्रीय भाषाओं में मैनुअल तैयार करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है। किसानों के संगठनों को वैद्य रूप देने के लिए सिंचाई अधिनियमों में नमूना संशोधनों के प्रारूप तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

गुजरात में सिंचाई परियोजनाएं

564. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग द्वारा गुजरात में स्वीकृत की गई सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में किस-किस तारीख को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) उक्त परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं को आरंभ करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (घ) आठवीं योजना के दौरान आयोग द्वारा गुजरात में स्वीकृत की गई सिंचाई परियोजनाओं तथा राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए निर्माण संबंधी कार्य का विस्तृत ब्यौरा देते हुए विवरण संलग्न है।